रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 14] नई दिल्ली, रविवार, अक्तूबर 12, 1986/आश्विन 20, 1908
No. 14] NEW DELHI, SUNDAY, OCTOBER 12, 1986/ASVINA 20, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके.

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a a separate compilation

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 9 अक्तूबर, 1986

का. नि. आ. 14-(अ):— छावनी अधिनियम, 1924-(1924 का 2) की धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 30 नवम्बर, 1986 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिस तारीख को निम्नलिखित छावनी बोर्डों के निर्वाचन होंगे :—

क्रम सं.	छावनी बोर्ड का नाम
1.	वाराणसी
2	मोगर
3.	शिलांग
4.	शाहजहापुर

[फाईल सं. 29/सामान्य/निर्वाचन/सी/एल एण्ड सी/85/3799/रक्षा (क्यू एंड सी)/86]

धीरेन्द्र सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 9th October, 1986

S.R.O. 14(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 16 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby fixes the 30th November, 1986 as the date on which elections to the Cantonment Boards indicated below shall be held :—

Sl. No.	Name of the Cantonment Board
1.	Varanasi
2.	Morar
3.	Shillong
4.	Shahjahanpur

[F. No. 29|Gen|Ele|C|L&C|85|3799|D(Q&C)|86]

DHIRENDRA SINGH, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986